

बिहार सरकार  
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग  
सं० सं०-२/शि०स्था०-६०-०५/२०१७-

-:शुद्धि पत्र:-

1014  
26.04.17

बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना द्वारा अनुशंसित सहायक शिक्षकों (स्नातक प्रशिक्षित) का पदस्थापन विभागीय आदेश सं०-९२३, दिनांक-१२.०४.२०१७ द्वारा किया गया है। जिसमें कतिपय अशुद्धियाँ परिलक्षित हुई हैं, जिसे निम्न प्रकार से शुद्ध/संशोधित किया जाता है:-

- (1) आदेश सं०-९२३, दिनांक-१२.०४.२०१७ के क्रमांक-१८ के सामने कॉलम-१० एवं ११ में जिला-"प० चम्पारण" के स्थान पर "पूर्वी चम्पारण" पढ़ा जाय।
- (2) आदेश सं०-९२३, दिनांक-१२.०४.२०१७ के क्रमांक-५१ के सामने कॉलम-१० एवं ११ में जिला-"पूर्वी चम्पारण" के स्थान पर "प० चम्पारण" पढ़ा जाय।
- (3) आदेश सं०-९२३, दिनांक-१२.०४.२०१७ के क्रमांक-१३० के सामने कॉलम-१० में "राजकीय अम्बेदकर आवासीय बालिका उच्च विद्यालय, सासाराम" के स्थान पर "राजकीय अम्बेदकर आवासीय बालक उच्च विद्यालय, सासाराम" पढ़ा जाय।
- (4) आदेश सं०-९२३, दिनांक-१२.०४.२०१७ के क्रमांक-१४० के सामने कॉलम-१० एवं ११ में जिला-"पूर्वी चम्पारण" के स्थान पर "प० चम्पारण" पढ़ा जाय।
- (5) आदेश सं०-९२३, दिनांक-१२.०४.२०१७ के क्रमांक-१४२ के सामने कॉलम-१० में "उच्च विद्यालय" के स्थान पर "मध्य विद्यालय" पढ़ा जाय।
- (6) आदेश सं०-९२३, दिनांक-१२.०४.२०१७ के क्रमांक-१४४ के सामने कॉलम-१० में "उच्च विद्यालय" के स्थान पर "मध्य विद्यालय" पढ़ा जाय।
- (7) आदेश सं०-९२३, दिनांक-१२.०४.२०१७ के क्रमांक-१७० के सामने कॉलम-१० में "राजकीय अम्बेदकर आवासीय उच्च विद्यालय, जानकीनगर, पूर्णियाँ" पढ़ा जाय।
- (8) आदेश सं०-९२३, दिनांक-१२.०४.२०१७ के क्रमांक-१९९ के सामने "राजकीय अम्बेदकर आवासीय बालिका उच्च विद्यालय, जहानाबाद" के स्थान पर "राजकीय अम्बेदकर आवासीय बालिका उच्च विद्यालय, राजवाड़ा, मुजफ्फरपुर" पढ़ा जाय।

उक्त आदेश की अन्य शर्तें यथावत् रहेगी।

निदेशक  
26/4/17

ज्ञापांक-२/शि०स्था०-६०-०५/२०१७- 1014

पटना, दिनांक- 26.04.17

प्रतिलिपि:-सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/सभी प्रधानाध्यापक, आवासीय विद्यालय/सभी संबंधित नव नियुक्त शिक्षकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक  
26/4/17